प्रेषक,

श्रीश चन्द्र वर्मा,
विशेष सचिव,
उ0 प्र0 शासन ।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास
उ0 प्र0, लखनऊ ।

**ग्राम्य विकास अनुभाग-4** **लखनऊ: दिनांक: 13 फरवरी, 2017**

विषय:- लोहिया ग्रामीण आवास योजना के कार्यान्वयन हेतु हडको से प्राप्त ऋण की धनराशि पर मूलधन के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष-2016-17 के लिए अनुदान संख्या-13 में वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या-54/2016/ 1848/38-4-16-17(बजट)/2015 दिनांक 28.12.2016 एवं शासनादेश संख्या- 01/2017/ 38/38-4-17-17(बजट)/2015 दिनांक 23.01.2017 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा तृतीय त्रैमास के वांछित मूलधन की धनरशि रू0 26,79,00,000.00 के सापेक्ष हडको ऋण के पुनर्भुगतान हेतु मूल बजट में प्राविधानित मूलधन की धनराशि रू0-3,21,00,000.00 एवं पुनर्विनियोग के माध्यम से रू0 20,58,00,000.00 निर्गत की गयी।

2- अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोहिया ग्रामीण आवास योजना के वित्त पोषण हेतु हडको से प्राप्त ऋण के सापेक्ष वित्तीय वर्ष-2016-17 के आय-व्ययक में तृतीय त्रैमास की मूलधन की अवशेष धनराशि अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 के **आदेश संख्या- आर0ई0 संख्या-407/यू0ओ0-ई-2-70/दस-2017 दिनांक 02.01.2017 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा रू0 3,00,00,000.00 ( रूपये तीन करोड़ मात्र)** पुनर्विनियोग के माध्यम से निम्न प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन निर्गत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि योजना के शासनादेश संख्या-107/38-4-13-05(बजट)/2012, दिनांक 20-02-2013 में निहित प्राविधानों के कार्यान्वयन हेतु हडको से ली गयी धनराशि के सापेक्ष ऋण के भुगतान में व्यय की जायेगी।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि में यदि कोई विचलन पाया जाता है, तो उसके लिए आयुक्त, ग्राम्य विकास,उ0 प्र0 स्तर पर तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी सीधे जिम्मेदार होंगे।

(3) स्वीकृत की जा रही इस धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। कोई ऐसा व्यय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी, उसके पश्चात् ही किया जायेगा ।

(4) समस्त व्यय प्रश्नगत योजना हेतु योजना की शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से व्यय कर लिया जायेगा ।

(5) इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का कड़ाई से अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा किया जायेगा।

(6) देय मूलधन के आगणन की शुद्धता की, धनराशि के भुगतान के पूर्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 स्तर पर तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी अपने स्तर पर सुनिश्चित करेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

**3-** तत्सम्बन्धी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अधीन लेखाशीर्षक-"2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-08-उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् द्वारा लोहिया ग्रामीण आवास योजना हेतु हडको से लिये गये ऋण के मूलधन का भुगतान-20-सहायक अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" नामे डाला जायेगा।

**4-** यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के **आदेश संख्या- आर0ई0 संख्या-407/यू0ओ0-ई-2-70/दस-2017 दिनांक 02.01.2017** में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

**संलग्नक-यथोक्त।**

भवदीय,
श्रीश चन्द्र वर्मा
विशेष सचिव।

**संख्या-03/2017/148(1)/38-4-2017, तद्दिनांक।**

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
3- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/4
6- राज्य योजना आयोग अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4
7- ग्रामीण आवास आयुक्त, उ0प्र0 ग्रामीण आवास परिषद, सी-6/270, विनीत खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
8- क्षेत्रीय प्रमुख, हडको, पिकप भवन, लखनऊ।
9- ग्राम्य विकास अनुभाग-3
10- गार्डबुक ।

आज्ञा से,
प्रभात कुमार श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।